प्रस्तावना

सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मामला और उसका निर्णय:

· मामले के नाम:

1. डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ

2. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ

3. अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ

निर्णय की मुख्य बातें:

• सर्वोच्च न्यायालय ने "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को बरकरार रखा, तथा संविधान के मूल ढांचे के साथ उनकी संगति की पुष्टि की, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में स्थापित किया गया था।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद की संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना तक विस्तारित है।

• इसने 42वें संशोधन के 44 साल बाद याचिकाओं को दोषपूर्ण और वैध कारण की कमी के रूप में खारिज कर दिया।

प्रस्तावना संशोधन:

• सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद, 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया था।

• इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान 1976 में पारित किया गया।

• इस संशोधन ने संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द पेश किए, जबकि राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में अपडेट किया गया।

• जबकि 44वें संशोधन (1978) ने आपातकाल-युग के कई बदलावों को उलट दिया, इसने इन शब्दों को बरकरार रखा।

"समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" का अर्थ:

• समाजवादी: आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, असमानताओं को कम करने और निजी उद्यम को खत्म किए बिना सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले कल्याणकारी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

• धर्मनिरपेक्ष: बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता बनाए रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

समावेश के पीछे कारण:

1. संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना: संविधान के ढांचे में पहले से ही अंतर्निहित सिद्धांतों (जैसे, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत) पर जोर देना।

2. आपातकालीन-युग की आलोचना को संबोधित करना: राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान समावेशिता और समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना।

3. वैश्विक संरेखण: भारत को उन आधुनिक राज्यों के साथ जोड़ना जो लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देते हैं।

सरकार द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम:

· समाजवादी पहल:

o मनरेगा: ग्रामीण रोजगार की गारंटी।

o सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): सभी के लिए खाद्य सुरक्षा।

o शिक्षा का अधिकार (RTE): निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना।

o आवास योजना: आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास।

· धर्मनिरपेक्ष पहल:

o अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम: अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति और कौशल विकास।

o पूजा स्थल अधिनियम, 1991: स्थलों के धार्मिक चरित्र की रक्षा करना।

o सांप्रदायिक हिंसा के लिए विशेष न्यायालय: न्याय और सद्भाव सुनिश्चित करना।

o संवैधानिक सुरक्षा: अनुच्छेद 25-28 के तहत समान धार्मिक अधिकार।

सीमाएँ और चुनौतियाँ:

• धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग: चुनावी लाभ के लिए इस शब्द का राजनीतिकरण।

• आर्थिक असमानता: लगातार आय अंतर समाजवादी लक्ष्यों को चुनौती देता है।

• धार्मिक असहिष्णुता: बढ़ते सांप्रदायिक तनाव धर्मनिरपेक्ष आदर्शों में बाधा डालते हैं।

• कार्यान्वयन के मुद्दे: कल्याण कार्यक्रमों के लिए अक्षम वितरण तंत्र।

प्रस्तावना के बारे में:

• प्रस्तावना की विशेषताएँ:

•

o संविधान का परिचय: भारतीय संविधान के दर्शन और उद्देश्यों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है।

o मूल मूल्य: संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सरकार के गणतांत्रिक स्वरूप के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

o गारंटीकृत आदर्श: न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना), समानता (स्थिति और अवसर) और बंधुत्व (राष्ट्रीय एकता और गरिमा) सुनिश्चित करता है।

o मार्गदर्शक सिद्धांत: संविधान के नैतिक और दार्शनिक सार के रूप में कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को दर्शाता है।

• प्रस्तावना के घटक:

•

o अधिकार का स्रोत: यह घोषणा करता है कि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों से प्राप्त करता है।

o राज्य की प्रकृति: भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र इकाई के रूप में परिभाषित करता है।

o उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है।

o अपनाने की तिथि: 26 नवंबर, 1949 को अपनाने की तिथि के रूप में निर्दिष्ट करता है।

• संविधान के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तावना:

•

o बेरुबारी यूनियन केस (1960): शुरू में फैसला सुनाया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्याख्या में सहायता कर सकती है।

o केशवानंद भारती केस (1973): पहले के विचार को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया और इसके प्रावधानों की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण बताया।

o एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995): संविधान के हिस्से के रूप में प्रस्तावना की स्थिति की पुष्टि की, हालांकि अदालतों में इसे लागू नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष:

प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" को शामिल करना न्याय, समानता और समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, ये सिद्धांत भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन को मजबूत करने से यह कायम रहेगा

संविधान की दृष्टि।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य निवेश, नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके देश के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक केंद्र में बदलना है।

पीएलआई योजना क्या है?

पीएलआई योजना पाँच वर्षों में वृद्धिशील उत्पादन और राजस्व के आधार पर वित्तीय पुरस्कार देकर कंपनियों (घरेलू और विदेशी) को भारत में विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शुरुआत में तीन उद्योगों को लक्षित करते हुए, बाद में आयात प्रतिस्थापन, रोजगार सृजन और उच्च तकनीक औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तारित किया गया।

विशेषताएँ और कवर किए गए क्षेत्र

1. विशेषताएँ:

o प्रदर्शन-संचालित वित्तीय प्रोत्साहन।

o उन्नत तकनीकों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है।

o आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।

o रोजगार सृजन और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करता है।

2. कवर किए गए क्षेत्र:

o बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम)।

o फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण।

o ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट।

o दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद।

o अक्षय ऊर्जा और सौर पीवी मॉड्यूल।

o उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी।

o श्वेत वस्तुएँ, ड्रोन, वस्त्र, खाद्य उत्पाद और विशेष इस्पात।

बजट परिव्यय:

- कुल आवंटन: ₹1.97 लाख करोड़ (~$24 बिलियन)।
- घरेलू विनिर्माण, निर्यात और तकनीकी विकास को बढ़ाने के लिए 14 क्षेत्रों में रणनीतिक निधि।

उपलब्धियाँ और प्रभाव:

1. समग्र प्रभाव:

o अगस्त 2024 तक ₹1.46 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ।

o ₹12.50 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ।

o ₹4 लाख करोड़ का निर्यात और 9.5 लाख नौकरियाँ सृजित हुईं।

2. क्षेत्र-विशिष्ट उपलब्धियाँ:

o इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक में परिवर्तन। उत्पादन बढ़कर 33 करोड़ यूनिट (2023-24) हो गया, जबकि निर्यात 5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया।

o फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस: भारत मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया, जिसने 50% उत्पादन का निर्यात किया और थोक दवाओं पर आयात निर्भरता को कम किया।

o ऑटोमोटिव: 8 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया और उच्च तकनीक वाले ऑटोमोटिव घटकों के उत्पादन को बढ़ावा दिया।

o नवीकरणीय ऊर्जा: दूसरे चरण के तहत 65 गीगावाट विनिर्माण क्षमता के साथ सौर पीवी मॉड्यूल उत्पादन का विस्तार हुआ।

o दूरसंचार: 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल किया और 4 जी और 5 जी उपकरणों का प्रमुख निर्यातक बन गया।

o ड्रोन: एमएसएमई और स्टार्ट-अप द्वारा संचालित इस क्षेत्र में सात गुना वृद्धि देखी गई।

चुनौतियाँ:

1. सीमित मूल्य संवर्धन: एंड-टू-एंड विनिर्माण के बजाय असेंबली पर अधिक निर्भरता।

2. डब्ल्यूटीओ बाधाएँ: नियम घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देने को सीमित करते हैं।

3. संवितरण में अस्पष्टता: निधि आवंटन के लिए मानकीकृत मापदंडों का अभाव।

4. डेटा गैप: परिणामों पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस का अभाव।

5. जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएँ: सेमीकंडक्टर विनिर्माण जैसे उच्च तकनीक वाले उद्योगों को विकसित करने में कठिनाई।

आगे की राह:

1. नीति मूल्यांकन: प्रति नौकरी लागत, उत्पादन परिणाम और निर्यात वृद्धि का आकलन करें।

2. पारदर्शी प्रोत्साहन: निधि वितरण के लिए मानदंड मानकीकृत करें और जवाबदेही बनाए रखें।

3. मूल्य संवर्धन को मजबूत करना: घरेलू विनिर्माण को गहरा करने के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करें।

4. डेटाबेस विकास: निवेश, नौकरियों और निर्यात पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत सिस्टम बनाएँ।

5. क्षेत्रों का विस्तार करें: ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और AI जैसे उभरते उद्योगों को लक्षित करें।

निष्कर्ष:

पीएलआई योजना ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है, निवेश आकर्षित किया है, उत्पादन बढ़ाया है और नवाचार को बढ़ावा दिया है। चुनौतियों का समाधान करना और एक मजबूत

पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना निरंतर विकास सुनिश्चित करेगा और वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को सुरक्षित करेगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार, इनपुट लागत में कटौती और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ, रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के बारे में:

• मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

• केंद्र प्रायोजित योजना: वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल ₹2481 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹1584 करोड़; राज्य का हिस्सा ₹897 करोड़) का परिव्यय।

• उद्देश्य: स्थिरता, जलवायु लचीलापन, मृदा स्वास्थ्य कायाकल्प और पौष्टिक खाद्य उत्पादन के लिए प्राकृतिक, रसायन मुक्त खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना।

• मुख्य विशेषताएं:

• ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में कार्यान्वयन, 5 लाख हेक्टेयर को कवर करना और 1 करोड़ किसानों तक पहुँचना।

• केवीके, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों पर 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) और 2000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्मों की स्थापना।

• 75 लाख किसानों को प्रशिक्षण और लामबंदी और हैंडहोल्डिंग समर्थन के लिए 30,000 कृषि सखियों/सीआरपी की तैनाती।

• एनएफ उपज के विपणन के लिए प्रमाणन प्रणाली और सामान्य ब्रांडिंग।

• ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय की जियो-टैग की गई निगरानी।

एक राष्ट्र एक सदस्यता

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र एक सदस्यता (ओएनओएस) योजना को मंजूरी दी है।

• यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है

भारत में खोज और विकास संस्कृति को बढ़ावा देना।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) के बारे में:

• मंत्रालय: उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय।

• केंद्रीय क्षेत्र योजना: 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ आवंटित।

• उद्देश्य: सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) और केंद्र सरकार के R&D संस्थानों को शीर्ष-गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना।

• मुख्य विशेषताएँ:

• 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों और लगभग 13,000 ई-पत्रिकाओं का कवरेज।

• 6,300 सरकारी HEI और R&D संस्थानों के लिए पहुँच, जिससे 8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे।

• UGC के तहत INFLIBNET द्वारा समन्वित पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया।

• अंतःविषय और मुख्य शोध को बढ़ावा देता है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में।

• एनईपी 2020 के साथ संरेखित और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) द्वारा समर्थित।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी

भूटान के पीएम शेरिंग तोबगे ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को एक प्रमुख "जीरो कार्बन" परियोजना के रूप में रेखांकित किया, और एक स्थायी, सहकारी पहल के रूप में इसके विकास का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के बारे में:

• विजन: सद्भाव, स्थिरता और भूटान के सकल राष्ट्रीय खुशी दर्शन को बढ़ावा देने वाला एक स्थायी, शून्य-कार्बन शहर बनाना।

• उत्पत्ति: भूटानी जीवन को बेहतर बनाने और स्थायी जीवन के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाने के लिए राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा परिकल्पित।

• भारत की भूमिका: निवेश और बुनियादी ढांचे के लिए भारत के साथ रणनीतिक सहयोग, भारत-भूटान संबंधों को मजबूत करना; दोनों देशों को लाभान्वित करने वाली एक सहकारी परियोजना के रूप में देखा जाता है।

• मुख्य विशेषताएं:

• 2,500 वर्ग किमी में फैला, जिसमें भूटान का 2.5% भूभाग शामिल है।

• इसमें संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और 4,000-5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएँ शामिल हैं।

• स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून बनाने की शक्तियों के साथ स्व-शासित विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR)।

• 35 नदियों और नालों पर रहने योग्य पुलों से जुड़े मंडला शैली के पड़ोस।

• जलविद्युत शक्ति, हाइड्रोपोनिक खेती, आध्यात्मिक केंद्र, बाज़ार और स्वास्थ्य सेवा (पारंपरिक और आधुनिक दोनों) के लिए बुनियादी ढाँचा।

• व्यक्तिगत कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए कम ऊँचाई वाले, पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में डिज़ाइन किया गया।